रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224962 CG-DL-E-05022021-224962

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942

No. 501]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

का. आ. 552(अ).— भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 के नियम 25 के उपनियम (क) के साथ पठित भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कृषि वाणिज्यों के भंडारण को अवधारित करती है, अर्थात:-

745 GI/2021 (1)

सारणी

क्रम संख्या	वस्तुओं के नाम
(1)	(2)
(क)	दूध और डेयरी उत्पाद
1.	पाश्चुरीकृत मक्खन*
2.	घी [*]
3.	स्किम्ड दूध का पाउडर*
(ख)	अनाज
4.	जई
(ग)	विविध
5.	सरसो तेल खली-अभिव्यक्त*
6.	सरसो तेल खली- विलायक परिष्कृत *
7.	नीम खली
8.	नीम तेल [*]
9.	नीम बीज
10.	कसावा चिप्स [*]
11.	कसावा उत्पाद- पशुओ का चारा

*प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए अपेक्षित वाणिज्य।

2. उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के गुणात्मक विनिर्देशों या मानकों का अनुपालन करेंगी।

परंतु उन वाणिज्यों के लिए मानक विद्यमान होने की दशा में, भारतीय मानक ब्यूरो या एगमार्क या भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या सरकारी निकायों द्वारा अधिकथित क्वालिटी मानक लागू होंगे।

- 3. उन वाणिज्यों के लिए, जिनके लिए रासायनिक या सहबद्ध प्रयोगशाला विश्लेषण अपेक्षित है, भारतीय प्रत्यानन बोर्ड द्वारा परीक्षण और अंशशोधन के लिए अधिसूचित सभी एगमार्क प्रयोगशालाएं, सभी प्रत्यादित प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं परीक्षण के लिए प्राधिकृत है।
- 4. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रयोगशालाएं तथा उनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रयोगशालाएं वाणिज्यों का परीक्षण कर सकती हैं।

[फा. सं. -टी-21032/1/2020-एन आई सी[गणेश ए बकाडे, निदेशक (प्रशा. एवं वित्त / डब्लूडीआरए)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

(WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2021

S. O. 552(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (n) of sub-section (2) of Section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), read with sub rule (a) of rule 25 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority, hereby determines that the agricultural commodities specified in the Table below shall be stored in a registered warehouse, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the commodity
(1)	(2)
(A)	Milk and Dairy Products
1.	Pasteurized Butter*
2.	Ghee*
3.	Skimmed Milk Powder*
(B)	Cereals
4.	Oats
(C)	Miscellaneous
5.	Mustard oil cake -expressed*
6.	Mustard oil cake -solvent extracted *
7.	Neem cake
8.	Neem oil*
9.	Neem seed
10.	Tapioca chips*
11.	Tapioca products - Animal feed

^{*} Commodities need laboratory based testing.

2. The commodities specified in the said Table shall comply with the qualitative specifications or standards of the Bureau of Indian Standards or AGMARK or Food Safety and Standards Authority of India:

Provided that in case, the Bureau of Indian Standards or the AGMARK or the Food Safety and Standards Authority of India standards do not exist for those commodities, quality standards laid down by the Central Government or the State Governments or the Government bodies shall be applicable.

- 3. For the commodities requiring chemical or allied laboratory analysis, all AGMARK laboratories, all accredited laboratories notified by National Accreditation Board for Testing and Calibration and laboratories recognised by the Bureau of Indian Standards and Food Safety and Standards Authority of India are authorized for laboratory testing.
- 4. In addition, the Central Government or the State Government laboratories and other laboratories recognised by them may conduct testing of commodities.

[F. No. T-21032/1/2020-NIC]

GANESH A BAKADE, Director (Admin & Fin./WDRA)